

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई एवं जल संचयन विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-जी-64/आई0बी0/22ए-108बी/अनु0-94/पूँजीलेखा/अवटन/4711/2019-20,

लखनऊ: दिनांक: अप्रैल, 30 2019

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-153/2019/847/सत्ताईस-सिं-2-2019-बजट/2018-19, दिनांक-29.04.2019 द्वारा 01 अदद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधानित बजट व्यवस्था (चालू श्रेणी) के सापेक्ष रु0 57.34 लाख (रु0 सत्तावन लाख चौतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः शासन से उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप सिंचाई विभाग के निम्नांकित मुख्य अभियन्ता को उक्त धनराशि सम्बन्धित परियोजना पर व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार धनावंटन/प्राधिकृत किया जाता है :-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम	मुख्य अभियन्ता संगठन	आवंटित धनराशि
1	2	3	4
	<u>अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा</u> <u>4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</u> 01-बाढ़ नियंत्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 09-कटाव निरोधक योजनाएं 0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएं (रा0से0) 24-वृहत निर्माण कार्य		
1	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बाएं किनारे पर स्थित ग्राम नहोसा के डाउनस्ट्रीम में चिडईया टोला, कुलवा फार्म, चकलऊआ फार्म एवं टिब्बा आदि ग्राम समूह की बाढ़ नियंत्रण परियोजना। (Latitude-28°28'52.41"N and Longitude:-80°24'02.74"E)	शारदा, बरेली।	57.34

(रु0 सत्तावन लाख चौतीस हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-29.04.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है। सम्बन्धित मुख्य को यह निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक-29.04.2019 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-1 से 25 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परियोजना पर धनराशि का व्यय, आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर रखा जायेगा तथा किसी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं की जाए।

(ध्यान सिंह)

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या-जी-64 (1)/आई0बी0/तददिनांक - 30/04/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अनु सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (रुहेलखण्ड) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, बरेली।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई, उ0प्र0, बरेली।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/कट फाईल हेतु।

(अशोक कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।